कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०, बरेली

पत्रांक /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः— 15/01/2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
3—सिविल लाइन, बरेली।

सं0 ....17.........../मु0अ0(वि0)व0क्षे0/कार्य दि0 15/01/2021
छायाप्रति, अधी0अभि0/अधि0अभि0/कार्य मण्डल,
बरेली /शाहजहाँपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
E.E. विद्युत माध्यमिक कार्य खंड बरेली
अधिशासी अभियन्ता (सं0)

विषयः— 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिविल एन्कलेव, (एयरपोर्ट), बरेली पर, प्रस्तावित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हेतु 33 के0वी0 लाइन के निर्माण की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 3—सिविल लाइन, बरेली के पत्रांक 437/वि0मा0क0खं0(ब) दिनांक 14.12.2020

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में बरेली सिविल एन्कलेव (एयरपोर्ट) से बड़ा बाईपास तक 33/11 के0वी0 भूमिगत केबिल डालने हेतु अनुमति मांगी गयी है। उक्त हेतु अनुमति/अनापत्ति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करने की संस्तुति की जाती हैः—

1. भूमिगत केबिल मार्ग की मध्य रेखा से 18 मी0 की दूरी पर डाली जाये।
2. यातायात में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न होने पाये।
3. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यस्थल को यथा स्थिति में कर दिया जाये।
4. केबिल डालने एवं मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यो की सम्पादन अवधि के एवं उपरान्त जन सुरक्षा एवं कार्यो में लगायी गयी लेबर की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्युत वितरण निगम लि0 का होगा।
5. केबिल डालते समय यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार कॉशन बोर्ड एवं अन्य आवश्यक सूचना पर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा लगाया जायेगा।
6. उपरोक्त कार्यो से यदि मार्ग को किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो विद्युत वितरण निगम लि0 को मार्ग की मरम्मत स्वयं के व्यय पर करानी होगी।
7. यह अनुमति पत्र जारी होने की तिथि से 6 माह तक के लिए अनुमन्य होगी।
8. कार्य पूर्ण कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के माध्यम से विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराना होगा कि सभी कार्य उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कराये गये हैं तथा मार्ग को पूर्व की दशा में ला दिया गया है, अन्यथा प्रदत्त स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।

उपरोक्त शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

(हरवंश सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक 98 / 11 ...　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः— 08/01/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), म0वि0वि0नि0लि0, बरेली क्षेत्र, बरेली।
3. सहायक अभियन्ता (चतुर्थ), निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली को उनके पत्र सं0 03/एन0ओ0सी0 दिनांक 04.01.2021 के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता

CE (D), MVVNL, BAREILLY
E.E (Comm)/S.E (L.T)
S.E (T)/E.E (T)
D, CAO
E.E (MCL)
E.E (Comm)/E.E.C.B.S.C.
Adm. Officer/P.O.
C.A.
C.E (D)/S.E (...)

11/1/2021

15/01/21

Executive Engineer
Electricity Secondary Works Division
M.V.V.N.L.
3-Civil Lines, Power House, Bareilly